न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2016-00131RAAJodhpur2016-77RTA225 Saradin ors Vs Lrs of Kayamkhan etc

01. सरादीन पुत्र श्री खुदा बक्स
02. श्रीमती सफू खातून पत्नी श्री हाजी सरादीन पुत्र खुदा बक्स
जातियान् मुसलमान, निवासी- ग्राम बेंगटी खुर्द, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. कायम खां पुत्र श्री मुसे खां के कायम मुकामः -
   1.1. आमदीन पुत्र श्री कायम खां
   1.2. लालदीन पुत्र कायम खां
   1.3. सखी मोहम्मद पुत्र श्री कायम खां
   1.4. बशीर खां पुत्र श्री कायम खां
2. कमलदीन पुत्र मुसे खां
   जातियान् मुसलमान, निवासी- ग्राम बैंगटी खुर्द, तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
3. रमेश पुत्र श्री बाबुलाल
4. दिनेश पुत्र श्री बाबुलाल
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण- ग्राम खुडियाला, तहसील शेरगढ, जिला जोधपुर।
5. नसरदीन पुत्र निजामदीन
6. इलियास पुत्र निजामदीन
7. सदीक पुत्र फखरे खां
8. बिलाल पुत्र फखरे खां
9. जाकिर हुसैन पुत्र फखरे खां
10. श्रीमती एमणों पत्नी श्री समस्तदीन
11. हबीब खां पुत्र समस्तदीन
12. अयुब खां पुत्र समस्तदीन
13. कासम खां पुत्र समस्तदीन
14. हनीफ पुत्र रिडमल खां
15. रईस मोहम्मद पुत्र रिडमल खां
   सभी जातियान् मुसलमान, निवासीगण- ग्राम बेंगटी खुर्द तहसील फलोदी, जिला फलोदी।
16. तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 02 जून 2016 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 176/2013 सरादीन व अन्य बनाम कायम खां इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री मोतीसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/3, 1/4, 2, 5 से 7, 9, 11, 13 व 15

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16

नि र्ण य

दिनांक : 18 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 176/2016 सरादीन व अन्य बनाम कायम खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 जून 2016 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 06 जुलाई 2016 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 90/3 रकबा 41.14 बीघा, खसरा नं. 92/2 रकबा 11.12 बीघा ग्राम बेंगटी खुर्द तहसील फलोदी में आवागमन हेतु रेस्पो. की खातेदारी भूमि खसरा नं. 93, 92, 91/1 व 191/2 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार मार्क एक से बी रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जून

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2016 के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स के खातेदारी खसरा नं. 90/3 एवं 92/2 में आवागमन हेतु मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की घोषणा करवाने के अधिकारी है। विचारण न्यायालय में पत्रावली कायम मुकाम की कार्यवाही में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा जल्दबाजी करते हुए नियम विरूद्ध प्राप्त मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए अपीलांट्स का आवेदन खारिज कर दिया। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा मामले का लोक अदालत में निस्तारण किया गया है। मामले को लोक अदालत में रखे जाने बाबत सूचना अपीलांट्स को नही दी जाकर अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधि-विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02 जून 2016 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधिनुसार निस्तारित किये जाने के निर्देश जारी किये जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अपीलांट्स के आवागमन हेतु मौके पर रास्ता उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 10.03.2016 के अवलोकन मुताबिक अपीलांट का खातेदारी खेत खसरा नं. 90/3 वर्तमान में किसी भी गैर मुमकिन रास्ते से जुड़ा हुआ नहीं है। अपीलांट के आवागमन हेतु प्रथमदृष्टया मौका फर्द में दर्शित रास्ता मार्क बी से सी लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विकल्प साबित हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विकल्प पर गौर किये बिना अपीलांट का प्रार्थना पत्र विधि-विरूद्ध तरीके से खारिज किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश धारा 251-ए की मंशा के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 176/2016 सरादीन व अन्य बनाम कायम खां इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 02 जून 2016 को अपास्त किया जाता है तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए निकटतम एवं लघुतम रास्ते का आदेश पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील अधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील अधिकारी
जोधपुर